बाल विवाह रोकथाम हेतु जागरूकता कार्यशाला का आयोजन

संवाददाता विकास कुमार

बेड़ो= प्रखंड कार्यालय सभागार में प्रखंड प्रमुख विनीता कच्छप की अध्यक्षता में बाल विवाह रोकथाम हेतु जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी डॉ प्रवीण कुमार ने बाल विवाह रोकथाम अधिनियम के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी। उन्होंने ने बताया कि प्रखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी बाल विवाह रोकने हेतु प्राधिकृत अधिकारी होते हैं। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष से कम आयु की किशोरियों एवं 21 वर्ष से कम आयु लड़कों की शादी करना गैर कानूनी है और जो लोग भी इस तरह से कार्य करते हैं उन सभी के विरुद्ध लड़का लड़की, दोनों के परिवार सदस्य, ब्राह्मण, टेंट वाले आदि अन्य जो भी शामिल होते हैं सभी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। बाल विवाह करने पर शामिल लोगों के विरुद्ध 2 साल का कारावास या ?100000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सांसद प्रतिनिधि धनंजय राय ने क्षेत्र में बाल विवाह रोकने के कई दृष्टांत दिया। साथ ही उन्होंने कानूनी पक्षों के विषय में जानकारी दिये। छोटानागपुर संस्कृतिक संघ के के प्रतिनिधि प्रतीक जी के द्वारा उनकी संस्था के कार्यकलापों एवं गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दिया। उन्होंने टोल फ्री नंबर 1098 की जानकारी दिया कि अगर आपके क्षेत्र में कहीं भी बाल विवाह होने की सूचना प्राप्त हो तो इस नंबर पर कॉल करके जरूर से सूचित करें। इससे होता है तो इस नंबर पर कॉल करके आप अपना पहचान बताएं बगैर सूचना दे सकते हैं । इससे आपकी पहचान भी नहीं होगी और बाल विवाह रोकने हेतु सक्षम पदाधिकारी वहां पहुंचेंगे। आगामी 2 मार्च को बेड़ों प्रखंड के सभी पंचायत सचिवालय में इसी तरह की बाल विवाह रोकथाम हेतु जागरूकता संबंधी कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। बैठक में सुनील केसरी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, सभी पंचायत समिति सदस्य, मुखिया पंचायत स्वयंसेवक एवं इंटकी एवं बेड़ो के आंगनबाड़ी सेविकाएं उपस्थिति उपस्थित थे।

बकरी चोरी कर भाग रहे दो युवकों को पकड़ कर ग्रामीणों ने किया पुलिस के हवांले

बोकारो धर्मल। बोकारो धर्मल थाना क्षेत्र के आरमो बस्ती से बकरी चोरी कर भाग रहे दो युवकों को ग्रामीणों से पकड़ लिया और बोकारो धर्मल थाना की पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं पुलिस दोनों युवको को गिरफ्तार कर उनसे पुछताछ कर रही है। घटना शुक्रवार की दोपहर लगभग एक बजे की है। घटना के सम्बंध में आरमो पंचायत के पूर्व मुखिया मनीराम मांझी ने बताया कि आरमो बस्ती के सड़क किनारे घास खा रही दो बकरियों को बाइक सवार दो युवकों ने उठा लिया और बाइक में लेकर भागने लगे जिसे गाँव के ग्रामीणो ने दौड़ा कर गोविंदपुर मुख्य सड़क में पकड़ लिया।और बाइक एवं बकरी सहित दोनो उवको को पुलिस के हवांले कर दिया गया। वहीं बोकारो धर्मल थाना के सब इंस्पेक्टर विक्रान्त मुण्डा ने बताये की बकरी चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किए युवक आजम अंसारी एवं इस्तेखार अंसारी पेक थाना क्षेत्र उपरघाट के काछो गाँव के रहने वाले हैं। दोनो बकरियों के मालिक आरमो गाँव निवासी सुखदेव मांझी के लिखित शिकायत आवेदन के आधार पर गिरफ्तार दोनो आरोपियों के खिलाफ थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है।साथ ही चोरी में इस्तेमाल किये गए स्पलेंडर बाइक जेएच 09 एडी/ 2638 को जप्त कर थाना लाया गया है।एवं बरामद दोनों बकरियों को उसके मालिक सुखदेव के हवांले किया गया है।

हर घर नल जल योजना व स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 में तेजी से लाएं प्रगतिः उपायुक्त

बोकारो = समाहरणालय स्थित सभागार में उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल योजना की समीक्षा बैठक की। मौके पर उप विकास आयुक्त कीर्तीश्री जी., कार्यपालक अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता विभाग चास/तेनुघाट क्रमशः रामप्रवेश राम, शशि शेखर,समेत सभी प्रखंडों के सहायक अभियंता, कनीय अभियंता, प्रखंड सोशल मोबलाइजर (बीसी) संकूल सोशल मोबलाइजर (एसएम) आदि उपस्थित थे। उपायुक्त ने प्रखंड वार/परियोजना वार की प्रगति की क्रमवार समीक्षा की। हर घर जल योजना के तहत सभी घरों को कनेक्शन हुआ है या नहीं जानकारी ली। लक्ष्य के अनुरूप शेष सभी घरों में कनेक्शन का कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने एक पखवारे के अंदर जहां पाइपिंग कार्य पूरा हो गया है वहां सभी घरों को कनेक्शन व पेयजलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही, परियोजना वार जहां कार्य शेष है (इंटकवेल निर्माण, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण, ईएसआर/जीएसआर निर्माण, पाइप बिछाने आदि) उसे पूर्ण करने का निर्देश दिया। संबंधित क्षेत्रों के कार्यपालक अभियंता को कार्य की प्रगति की दैनिक मानिटरिंग करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने अगली बैठक से पूर्व प्रदर्शन में सभी को सुधार लाने का निर्देश दिया। इसमें किसी भी तरह की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म थाने मे मामला दर्ज

मांडर । थाना क्षेत्र में 13 वर्ष की एक लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. मामले को लेकर पीड़िता की ओर से टांगरसत्ती निवासी दुष्कर्म के आरोपी के खिलाफ मांडर थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. प्राथमिकी के अनुसार पीड़िता के साथ दुष्कर्म की घटना 8 माह पूर्व हुयी थी. तब वह गांव के निकट स्थित जंगल में दिन में अठेली दतवन तोड़ने गयी थी. इसी क्रम में वहां पहुंचे आरोपी ने जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया था. आरोप है कि इस दौरान आरोपी ने अपने मोबाइल में पीड़िता का आपत्तिजनक वीडियो भी बना लिया था. और उसे सोशल मीडिया में वायरल करने की धमकी देकर उसे कई बार अपनी हवस का शिकार बनाया था. बाद में पीड़िता की ओर से इसकी जानकारी परिजनों को दिये जाने के बाद गांव में पंचायत में दोनों की शादी का प्रयास किया गया।

अधेड की कुंआ में डुबने से मौत

रातू। थाना क्षेत्र के परहेपाट निवासी कार्तिक उरांव 48 वर्ष पिता स्व० थोलो उरांव की परहेपाट स्थित सामुदायिक भवन के कुआं में डुबने से शुक्रवार को मौत हो गई।इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार कार्तिक नशा का काफी सेवन करता था। मंगलवार की शाम को कार्तिक घर से निकला था उसके बाद से वह घर नहीं आया था। शुक्रवार की सुबह ग्रामीणो द्वारा सुचना मिलने पर जब परिवार के लोग पहुंचे तो कुआं के पास पहुंचे तो उन्होने उसकी पहचान की।अंदेशा व्यक्त किया जा रहा है कि नशा में होने के कारण कुआं में गिरने से उसकी मौत हुई है।रातू पुलिस शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया। इस संबंध में मृतक की पत्नी किरण देवी के बयान पर रातू थाना में अस्वाभाविक मौत का मामला दर्ज किया गया है।

बिरबीर में धूमधाम से मनाई गई शबरी जयंती

हजारीबाग । अखिल भारतीय भुइयां कल्याण समिति ने बिरबिर में शबरी जयंती धूमधाम से मनाई गई। मुख्य अतिथि दुलाल भुईयां राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री झारखंड एवं एवं सदर विधायक प्रतिनिधि इंदर सिंह राठौड़ राजेंद्र सिंह राठौड़ उपस्थित थे। समिति के जिला अध्यक्ष महेंद्र बिहारी ने कहा कि माता शबरी के जूठे बेर खाकर भगवान राम ने दुनिया को समता भाईचारा और बंधुत्व का संदेश दिया। श्रोथों के अनुसार माता शबरी भगवान श्री राम की परम भक्त थी। शबरी का असली नाम ॰श्रमणा॰ था। उनके विवाह पर परंपरा के अनुसार सैकड़ों पशुओं की बलि दी जाने वाली थी, यह सब वो सहन न कर सकीं और एक दिन पूर्व अपना घर त्याग कर दंडकारण्य वन में पहुंच गई। दंडकारण्य में मातंग ऋषि तपस्या किया करते थे, भील जाति की होने के कारण वह प्रत्यक्ष ऋषि की सेवा तो नहीं कर सकीं लेकिन वे चुपचाप प्रातः जल्दी उठकर आश्रम से नदी तक के मार्ग के सारे कंकड़ और कांटो को चुनकर पूरे रास्ते को भलिभांति साफकर दिया करती थी और रास्ते में बालू बिछा देती थी। शबरी के इसी भक्ति के कारण भगवान राम अपने अनुज लक्ष्मण के साथ माता सीता को खोजते हुए वहां पहुंचे और शबरी से वहीं पर मुलाकात हुई। इस अवसर पर बिरबीर रंजीत कुमार, बुधन राम के सहित भुईयां समाज के सभी लोग शामिल हुए।

प्रखंड के सभी विद्यालयों में शिक्षक - अभिभावक संगोष्ठी का आयोजन, शामिल हुए जनप्रतिनिधि

टाटीझरिया । टाटीझरिया प्रखंड के सभी पंचायत खैरा,झरपो,भरागो,डहरभंगा, टाटीझरिया,डुमर, धरमपुर एवं बेडम पंचायत के अंतर्गत सभी विद्यालयों में शिक्षक - अभिभावक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मध्य विद्यालय अमनारी में संगोष्ठी में मुखिया स्वास्तिका कुमारी की अध्यक्षता में संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य रूप से सांसद प्रतिनिधि महेश अग्रवाल, विधायक प्रतिनिधि उपेंद्र कुमार पाण्डेय, उमुमुखिया कौलेश्वर कुमार, प्रधानाध्यापक छोटन कुमार दास, शिक्षक कुलदीप पासवान समेत अभिभावक उपस्थित थे। अभिभावक को संबोधित करते हुए मुखिया ने कही कि अपने बच्चों को नियमित प्रतिदिन विद्यालय भेजें। साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने की जरुरत है। बच्चों के साथ भेदभाव ना करें। विद्यालय में किसी तरह की परेशानी होने स्थानीय जनप्रतिनिधि आपके साथ है।

जिला परिषद कार्यालय, बोकारो।

अति अल्पकालीन पूर्ननिविदा आमंत्रण सूचना संख्या–09/2022–23

विज्ञापन दाता का नाम :- उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, बोकारो।
निविदा दस्तावेज बिक्री की तिथि/स्थान – दिनांक 02.03.2023 को 10.30 पूर्वाह्न से 3.00 बजे अपरा तक/जिला परिषद कार्यालय, बोकारो।
निविदा प्राप्ति की तिथि/स्थान – दिनांक 03.03.2023 को 10:30 बजे पूर्वाह्न से 3:00 बजे अपरा तक/जिला परिषद कार्यालय, बोकारो।
निविदा खोलने की तिथि/स्थान :- दिनांक 03.03.2023 को 3:30 बजे अपरा/जिला परिषद कार्यालय, बोकारो।

पूर्व संख्या	क्रमांक	प्रस्ताव	योजना का नाम	प्रा० राशि (रू० में)	बयाना राशि (रू० में)	सीमान्त किश्त मूल्य (रू० में)	कार्य पूर्ण की अवधि
I	1.	चास	चास नॉन के बहुमंजिला तल में निर्मित तीन संख्या-03 को पुस्तकालय अधिकृत–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में विकसित करने हेतु उपनाम कार्य।	1635000.00	43370.00	5000.00	डेढ़ माह
	2.		चास नॉन के बहुमंजिला तल में निर्मित तीन संख्या-04 को Dimdari Locker Room के रूप में विकसित करने हेतु उपनाम कार्य।	533500.00			
			Total	2168500.00	43370.00	5000.00	

नोट :- 1. संवेदक को परिमाण नियत मूल्य की राशि का बैंक ड्राफ्ट, निविदा प्रपत्र पत्र अनिवार्य रूप से जमा करने के उपरांत ही परिमाण नियत (पी०ओ०क्यू०) निर्गत किया जाएगा।
2. अग्रिमराशि की राशि संवेदक को भुगतान नहीं की जायेगी।
3. निविदा की सभी शर्तें जिला परिषद, कार्यालय बोकारो के सूचना पट्ट एवं विभागीय Website-www.zilaparishadbokaro.com पर देखा जा सकता है।

पत्रांक 85/ जि.प. 24/02/2023

उप विकास आयुक्त –सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, बोकारो।

TATA

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लि.

पंजीकृत पता: 11वीं मंजिल, टॉवर ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुंबई - 400013.
शाखा का पता: टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, पहली मंजिल गायत्री एन्क्लेव के-रोड बिष्टुपुर जमशेदपुर झारखंड-831001.

अचल संपत्ति की बिक्री के लिए सूचना

(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 9(1) के साथ पठित नियम 8(6) के तहत) वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और सुरक्षा हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी सूचना सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) और नियम 9(1) के साथ सामान्य रूप से जनता को और विशेष रूप से नीचे के कर्जदार और/सह-उधारकर्ता, या उनके कानूनी उत्तराधिकारियों/प्रतिनिधियों को नोटिस दिया जाता है। (उधारकर्ता) विशेष रूप से टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (टीसीएचएफएल) के पास गिरवी रखी गई नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जिसका कब्जा टीसीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को 29-03-2023 को जैसा है को बेचा जाएगा। जहां है और जैसा है जो है और जो कुछ भी है के आधार पर नीचे दिए गए कर्जदार और सह-उधारकर्ताओं से बकाया राशि की वसूली के लिए। आरक्षित मूल्य और बयाना जमा राशि का उल्लेख नीचे किया गया है। इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि, बिक्री के किसी भी स्थगन/विराम के अभाव में, उक्त सुरक्षित संपत्ति/संपत्ति को ई-नीलामी द्वारा दोपहर 2.00 बजे बेचा जाएगा। उक्त दिनांक 29-03-2023 को ई-नीलामी में भाग लेने के लिए ईएमडी के डिमांड ड्राफ्ट वाला सीलबंद लिफाफा टीसीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी को 28-03-2023 को शाम 5.00 बजे तक या उससे पहले जमा किया जाएगा। शाखा के पते पर टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, पहली मंजिल गायत्री एन्क्लेव के-रोड बिष्टुपुर जमशेदपुर झारखंड -831001।

सुरक्षित संपत्ति/अचल संपत्ति की बिक्री नीचे वर्णित संक्षिप्त विवरण के अनुसार जहां है जैसी स्थिति है पर होगी;

क्रम संख्या	ऋण खाता संख्या	कर्जदार का नाम/ सह-उधारकर्ता/गारंटी/ कानूनी वारिस/ प्रतिनिधि / मालिक	डिमांड नोटिस के अनुसार राशि	आरक्षित मूल्य	अग्रिम धन	कब्जे का प्रकार
1.	999414 0	श्री रवी कमल, 414 श्रीमती डिंपिल कुमार, श्री नवीन कमल, श्रीमती ज्योति देवी	रु. 63,37,203/- (रुपये तिरसठ लाख सैंतीस हजार दो सौ तीन मात्र) 08-05-2019	रु.15,74,000/- (रुपया एक करोड़ पंद्रह लाख चौहत्तर हजार मात्र)	रु. 11,57,400/- (रुपये ग्यारह लाख सत्तावन हजार चार सौ मात्र)	प्रतीकात्मक

अचल संपत्ति का विवरण: 1226 और 1346 वर्गमीटर सुपर बिल्ट अप एरिया वाले प्रस्तावित भवन सेवेंथ हेवन की दूसरी मंजिल पर वाह सभी आवासीय फ्लैट संख्या-बी-7/2 और बी-6/2। फीटा जमशेदपुर में पूर्वी सिंहभूम, एसआरओ, मौजा सोनारी, थाना नंबर 1156, वार्ड नंबर में जे.एन.एल. 1, पीएस सोनारी, खाता नंबर 477 (नया), प्लॉट नंबर 467, आर.एस. खाता संख्या 38, आर.एस. प्लॉट नंबर 95.96,97,98,99(पुराना), एरिया। 44.2 दशमलव। बाउंड्री पूर्व :प्लॉट नं. सी।/2; पश्चिम: सड़क, उत्तर : मार्ग, दक्षिण : आकाश के लिए खुला

नीलामी में आम तौर पर जनता को अपनी बोली(ओं) को व्यक्तिगत रूप से जमा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। कर्जदारों/सह कर्जदारों को इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अतिरिक्त ब्याज के साथ कुल देय राशि का भुगतान करने का आखिरी मौका दिया जाता है, ऐसा न करने पर अचल संपत्ति को तय कार्यक्रम के अनुसार बेचा जाएगा। ई-नीलामी बंद कर दी जाएगी, यदि पूर्वोक्त देय राशि, ब्याज और लागत (बिक्री की लागत सहित) के साथ प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत की जाती है या उसकी संतुष्टि के लिए समुचित दिया जाता है कि इस तरह के सुरक्षित ऋण, ब्याज और लागत की राशि नीलामी की तिथि से पूर्व भुगतान कर दिया गया है।

कोई भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति, जिसका इस बिक्री के संबंध में कोई कर्तव्य है, हालांकि, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बेची गई अचल संपत्ति में किसी भी हित के लिए बोली लगाने, प्राप्त करने या प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेगा।

बिक्री सूरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 में निर्धारित शर्तों और निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के अधीन होगी ...

नोट- संपत्तियों की ई-नीलामी पोर्टल https://bankauctions.in/ के माध्यम से 29-03-2023 को दोपहर 2.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे के बीच प्रत्येक 10 मिनट के सीमित विस्तार के साथ होगी।

नियम और शर्तें 1. नीचे दी गई अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताए गए हैं, लेकिन अधोहस्ताक्षरी इस उद्घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत बयानी या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा। बोली की राशि या बोली लगाने वाले के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में, अचल संपत्ति को एक बार फिर प्राधिकृत अधिकारी के विवेक के अधीन नीलाम किया जाएगा। 2. अचल संपत्ति आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जाएगी। 3. बोली वृद्धि राशि होगी- रु. 10,000/- (रुपए दस हजार केवल) 4. संपत्ति को खरीद के लिए जमा की गई सभी बोलियों के साथ टाटा के पक्ष में एक डिमांड ड्राफ्ट के रूप में ऊपर उल्लेखित बयाना राशि होगी। कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। शाखा के पते पर देय। नीलामी के बाद असफल बोलीदाताओं को डिमांड ड्राफ्ट वापस कर दिया जाएगा। एन्क्रोच्ड/आटोडीलिट/अहीनपोस्ट के माध्यम से ईएमडी के भुगतान के लिए कृपया प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क करें। 5. उपरुक्त बोली लगाने वाले को हमेशा सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा, बशर्ते कि वह बोली लगाने के लिए कानूनी रूप से योग्य हो और बशर्ते कि बोली की राशि आरक्षित मूल्य से कम न हो। यह प्राधिकृत अधिकारी के विवेक पर होगा कि जब पेशकश की गई कीमत स्पष्ट रूप से अपर्याप्त प्रतीत हो तो उपरुक्त बोली को स्वीकार करने से मना कर दिया जाए जिससे ऐसा करने की सलाह नहीं दी जा सके। 6. रिकॉर्ड किए गए कारणों से, बिक्री को स्थगित/बंद करना प्राधिकृत अधिकारी के विवेक पर होगा। 7. अचल संपत्ति का निरीक्षण दिनांक 20-03-2023 को प्रातः 11 बजे से सायं 5.00 बजे के बीच किया जा सकता है। पूर्व नियुक्ति के साथ। 8. एक सफल बोलीदाता के रूप में घोषित व्यक्ति, इस तरह की घोषणा के तुरंत बाद, खरीद धन/बोली की राशि का पच्चीस प्रतिशत जमा करेगा जिसमें ईएमडी राशि 24 घंटे के भीतर प्राधिकृत अधिकारी को जमा की जाएगी और इस तरह की जमा राशि में चूक होने पर संपत्ति तत्काल नई नीलामी/निजी सधि द्वारा बिक्री के लिए रखा जाएगा। 9. उपरोक्त अनुसार प्रारंभिक जमा किए जाने की स्थिति में, देय क्रय धन की शेष राशि का भुगतान क्रेता द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को संपत्ति की बिक्री की पुष्टि की तारीख से 15वें दिन या उससे पहले किया जाएगा।

ऐसे दिन को छोड़कर, या यदि 15वां दिन रविवार या अन्य अवकाश का हो, तो 15वें दिन के बाद पहले कार्यालय दिवस पर। 10. उपरोक्त अवधि के भीतर किसी भी भुगतान में चूक होने की स्थिति में, संपत्ति को निजी सधि द्वारा नई नीलामी/बिक्री के लिए रखा जाएगा। ईएमडी सहित जमा राशि टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा जब्त कर ली जाएगी और डिफॉल्ट खरीदार संपत्ति के सभी दावों को खो देगा। 11. टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को ज्ञात किसी भी ज्ञापभार का विवरण, जिसके लिए संपत्ति उत्तरदायी है- उपरोक्त तालिका के अनुसार। इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे संपत्ति कर, बिजली आदि की वैधानिक देनदारियों सहित संपत्ति पर भार के संबंध में अपनी स्वतंत्र पूछताछ करें। , एमएस। 4 क्लोजर, ब्लॉक नं. 605 ए, छठी मंजिल, मैजीवाय कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, अमीरपेट, हैदराबाद-500038 इनके समन्वयक श्री पू.सुब्बाराव, मो. No.8142000061, subbarao@bankauctions.in या मनीष बंसल, ईमेल आईडी Manish.Bansal@tatacapital.com प्रभिकृत अधिकारी मोबाइल नंबर 8588983696 कृपया अपना प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9999078669 पर भेजें। 13. 1% का टीडीएस लागू और देय होगा। उपरुक्त पात्रित बोली राशि से अधिक उपरुक्त बोली लगाने वाला। उपरुक्त बोली लगाने वाले को मालिक/उधारकर्ता(ओं) के पैन में भुगतान जमा करना होगा और चालान की प्रति हमारी करेगी को जमा करनी होगी। 14. उपरोक्त विवरण के लिए कृपया सुरक्षित लेनदार की वेबसाइट https://bit.ly/xEFuMIT में दिए गए नीचे दिए गए लिंक को देखें। 15. कृपया इस लिंक को भी जाएं : https://www.tatacapital.com/property-disposal.html

कृपया ध्यान दें - टीसीएचएफएल ने इस संपत्ति की बिक्री/नीलामी के लिए उल्लिखित नीलामी भागीदार के अलावा किसी ब्रोकर/एजेंट को शामिल नहीं किया है। इच्छुक पार्टियों को इस मामले में सभी प्रश्नों और पूछताछ के लिए केवल अधोहस्ताक्षरी या प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क करना चाहिए।

दिनांक : 26/02/2023
स्थान :जमशेदपुर

ह०/- प्राधिकृत अधिकारी,
टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

शिक्षा का अधिकार अभियान सब पढ़ें सब बढ़ें

झारखण्ड शिक्षा परियोजना, खूँटी

नया समाहरणालय भवन, ब्लॉक–सी0, वाईबासा रोड, खूँटी–835210
Email ID – jepkhunti@gmail.com

पत्रांक: JEP KHUNTI/232 दिनांक: 22 / 02 /2023

आदर्श विद्यालयों में स्वीकृत पद के विरूद्ध आवश्यकता आधारित रिक्त पदों के सापेक्ष अल्पकालीन संविदा आधारित योग्य शिक्षकों हेतु रिक्त पदों पर चयन हेतु आवश्यक सूचना

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार रांची के संकल्प संख्या 697 दिनांक 15.03.2022 के अनुरूप उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, जिला स्तरीय चयन समिति के आदेशानुसार आदर्श विद्यालय योजना अन्तर्गत जिला के उत्कृष्ट विद्यालयों (Schools of Excellence) एवं प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालयों जिन्हें राज्य सरकार की महत्वकांक्षी आदर्श विद्यालय योजना के अन्तर्गत गुणवत्त शिक्षा के केन्द्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, में अल्पकालीन संविदा आधारित स्नातकोत्तर एवं स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों के चयन हेतु योग्य अभ्यर्थियों से विहित प्रपत्र में आवेदन दिनांक 11.03.2023 के अपरा 5.00 बजे तक निबंधित डाक के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी–सह–जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, झारखण्ड शिक्षा परियोजना कार्यालय, खूँटी में आमंत्रित किए जाते हैं। साक्षात्कार डाक से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

TGT					PGT				
SL No	Subject	Total No. of Vacant Posts	UR	ST	SL No.	Subject	Total No. of Vacant Posts	UR	ST
1.	English	2	1	1	1.	Sanskrit	1	1	0
2.	Mathematics/Physics	3	2	1	2.	Mathematics	2	1	1
3.	Biology/Chemistry	1	1	0	3.	Physics	4	2	2
4.	Geography	1	1	0	4.	Biology	3	2	1
5.	History/Civics	7	4	3	5.	Chemistry	4	2	2
6.	Sanskrit	4	2	2	6.	Commerce	1	1	0
7.	Commerce	1	1	0		Total	15	9	6
8.	Home Science	1	1	0					
9.	Mundari	3	2	1					
	Total	23	15	8					

प्रकाशित विज्ञापन की प्रति जिसमें चयन की शर्तें, अर्हता एवं पोस्टिंग स्थिति की स्थिति तथा आवेदन हेतु विहित प्रपत्र एवं अन्य विशेष–निदेश जिले के आधिकारिक वेबसाइट www.khunti.nic.in पर उपलब्ध है।

जिला शिक्षा पदाधिकारी–सह–
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
झारखण्ड शिक्षा परियोजना, खूँटी।

उपायुक्त–सह–अध्यक्ष,
जिला चयन समिति, खूँटी।

PR 291099 (District) 22-23 (D)

कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय,लघु सिंचाई प्रमंडल, गुमला

अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना संख्या 41 वर्ष 2022–23

1. विभाग का नाम – जल संसाधन (लघु सिंचाई) विभाग, झारखंड सरकार, रांची।
2. निकाय द्वारा का नाम – कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमंडल, गुमला।
3. परियोजना विवरण की तिथि की तिथि – 27.02.2023 से 03.03.2023 तक (2.00 बजे अपराह्न तक)
4. निविदा प्रपत्र बेचने की तिथि एवं समय – 04.03.2023 को 3:00 से 4:00 बजे अपराह्न
5. निविदा खोलने की तिथि एवं समय – 04.03.2023 को 3:30 बजे अपराह्न
6. परियोजना स्थल विवरण का स्थान – (1) कमांडएरिया अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमंडल, गुमला। (2) सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई अनुमंडल, गुमला।
7. निविदा प्रपत्र एवं निविदा संबंधी का स्थान – कार्यालय परिसर, लघु सिंचाई प्रमंडल, गुमला।
8. परियोजना विवरण का मूल्य – राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी राष्ट्रीयकृत बैंक/गुमला में भुगतान हो, नगद/क्रेडिट।
9. कार्य की विस्तृत विवरणी –

पूर्व सं०	कार्य का नाम	प्रखंड	योजना का नाम	सीमान्त किश्त की राशि (रू० में)	बयाना की राशि (रू० में)	सीमान्त किश्त का मूल्य (रू० में)	कार्य पूर्ण की अवधि	निविदा प्रपत्र की शुल्क श्रेणी
1	Renovation of Van Tilah at Campus of Fishery Department Gumla, Block- Gumla District-Gumla.	गुमला	विशेष केन्द्रीय सहायता	3499600.00	50000.00	5000.00	तीन माह	श्रेणी-ख
2	Renovation of Rooting Pond's and Hatchery Pond at Campus of Fishery Department, Gumla Block-Gumla District-Gumla.	गुमला	विशेष केन्द्रीय सहायता	2204400.00	44100.00	5000.00	तीन माह	श्रेणी-ख
3	Construction of RCC Road From Basin Old Block Mare to S.D.O. Office Entry Gate Basin, Block- Basin District-Gumla.	सोसो	विशेष केन्द्रीय सहायता	1010000.00	20200.00	2500.00	तीन माह	श्रेणी-ख
4	संवेदक एवं पुरुकार के संबंध कार्य जमाई जमाई जमा का जीवीएल एवं मल्टीपल कार्य प्रावधान गुमला।	गुमला	विशेष कमान संचालन	1900000.00	38000.00	3000.00	तीन माह	श्रेणी-ख

निविदा की शर्तें :- 1. बैंक ड्राफ्ट निविदा संवेदक के नाम से जारी है निविदा हुआ ही तथा बैंक ड्राफ्ट की विवरण अवधि निविदा की प्रकाशन की तिथि से तीन माह तक का हो, मान्य होगा।
2. निविदा में पूर्ण/अपूर्ण दर में अंकित न्यूनतम दर पूर्ण कार्य का प्राक्कलित राशि का 25% अथवा 30% अतिरिक्त जमा राशि का डाक्यूमेंट जमा पत्रपुष्ट/बैंक द्वारा निर्गत निकाय निविदित निविदा के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।
5. जी.एस.टी.– 1 10% से 18 प्रतिशत तक दर की राशि का अधिक अतिरिक्त जमाराशि देनी होगा।
10. निविदा से संबंधित सभी सूचना अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय के सूचनापट्ट पर देखा जा सकता है।
E-mail ID—eeregi.gumla@gmail.com.

कार्यपालक अभियंता,
लघु सिंचाई प्रमण्डल, गुमला।

PR 291160 Minor Irrigation(22-23)D

कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, राँची

शिक्षा विभाग परिसर, पो०–कोर्ट कम्पाउण्ड, राँची–834001, फोन– 2215544, ईमेल पे– rmsaranchi0651@gmail.com

आवश्यक सूचना

जिले के माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का विभाग द्वारा निर्मित Teacher Transfer Portal में विद्यालयवार विवरण प्रकाशित करने के संबंध में आवश्यक सूचना :–

विभागीय संकल्प संख्या / ज्ञापांक 2093 दिनांक 06.08.2019 यथा संशोधित अधिसूचना ज्ञापांक 1556 दिनांक 08.06.2022 के आलोक में कार्रवाई से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया के अंतर्गत जिले के माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का विभाग द्वारा निर्मित **Teacher Transfer Portal** के वेबसाईट **teachertransfer.jharkhand.gov.in** में विद्यालयवार विवरण प्रकाशित किया गया है तथा संबंधित शिक्षकों से प्रकाशित विवरण के संदर्भ में दावा/आपत्ति की मांग की जाती है। सभी संबंधित शिक्षक उपरोक्त वेबसाईट से डाटा को डाउनलोड करके अपने विवरण का मिलान करते हुए किसी प्रकार की त्रुटि रहने की स्थिति में अपना दावा/आपत्ति साक्ष्य सहित दिनांक 11.03.2023 तक विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये **Email ID-teachertransferranchi@gmail.com** में भेजने हेतु इस कार्यालय के ज्ञापांक .353 दिनांक 21.02.2023 के द्वारा विज्ञप्ति संख्या PR290911(HU